Office of the Accountant General (A&E), Kerala,
P.B.No.5607, M.G.Road, Thiruvananthapuram-695039,
Phone: 0471-2330311, Fax: 0471-2330242.

P19/II/DRSSA-14/2016-17/JHARKHAND Dated:23/05/2016

To

All District/Sub Treasury Officers

Sir,

Sub: Grant of Dearness Relief to the Pensioners/Family Pensioners of Jharkhand State @125% w.e.f.01/01/2015.

Ref: Resolution No.F.A.6A-12/2013/1242/F Dated. 28/04/2016 of the Government of Jharkhand, Department of Finance.

The Government of Jharkhand, Department of Finance have enhanced the rate of Dearness Relief from the existing rate of 119% to 125% w.e.f.01/01/2016 on the revised pension of the pensioners/family pensioners of State Government.

You are hereby authorized to make payment accordingly.

The amount is debitable to 8793/ISS/Jharkhand.

Payment of Dearness Relief involving a fraction of a rupee shall be rounded off to the next higher rupee and the fraction of less than 50 paisa shall be ignored.

A copy of this circular may be exhibited in the notice board of the Treasury.

Copies of this circular issued from A G (A & E) Kerala, Thiruvananthapuram can be downloaded from this office website www.agker.cag.gov.in. and the State Government of Jharkhand from www.agaejharkhand.cag.gov.in.

You are hereby authorized to make payment accordingly. Expenditure may be debited 8793/ISS/Jharkhand.

Yours faithfully,

23/5/16

Accounts Officer

23/5/16.

23/5/16.

P19 15 18/5/16 P19/II 1 DA 3518/14 20/5/16

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड का कार्यालय
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), JHARKHAND

सत्यमेव जयते

No.PEN-III/Jharkhand/DR/2016-17/ 266 Dated:- 5/5/16

UNDER SPECIAL SEAL AUTHORITY NO. 181 /2016-17

To,

The

1.	Accountant General (A&E), Andhra Pradesh, Saifabad, Hayderabad	500463
2.	Director of Audit & Pension Govt. of Arunachal Pradesh, Naharlagun	791110
3.	Accountant General (A&E), Assam, Guwahati, Maidamgaon Beltola, Guwahati	781029
4.	Accountant General (A&E),Bihar, Birchand Patel Marg, R- Block, Patna	800001
5.	Accountant General (A&E),Chatisgarh,12/27, Raman Mandir Ward, Bilaspur Road,Fafadih, Raipur	492009
6.	Deputy Director of Accounts/P.L.I. Govt. of Goa, Directorate of Accounts, Pension Section, Panji, Goa	403101
7.	Accountant General (A&E), Gujrat, Ahmedabad Branch, Audit Bhawan, Navarangpura, Ahmedabad	380009
8.	Accountant General (A&E), Haryana, Lekha Bhawan, Plot No. 4 & 5, Sector-33-B, Chandigarh	160047
9.	Senior Deputy Accountant General (A&E), Himachal Pradesh, Gorton Castle Building, Shimla	171003
10.	Principal Accountant General (A&E), Jammu & Kashmir, Near Exhibition Ground, Srinagar	190009
11.	Principal Accountant General (A&E), Karnataka, Residency Park Road, Post Box No. : Bangalore	560001
12.	Accountant General (A&E), Kerla, Post Box No. 5607, M.G. Road, Thiruvananthapuram	695039
13.	Accountant General (A&E), Madhya Pradesh, Lekha Bhawan, Jhansi Road, Gwalior	474002
14.	Principal Accountant General (A&E), Maharashtra, 2nd Floor, Pratishtha Bhawan, New Marine Lines, Maharshi Karve Road, Mumbai	400020
15.	Accountant General (A&E), Maharashtra, West High Court Road, Civil Line, Nagpur	440001
16.	Senior Deputy Accountant General (A&E), Manipur, Imphal	795001
17.	Accountant General (A&E), Meghalaya, Shilong	793001
18.	Accountant General (A&E),Mizoram, Shri Bualhranga Building, Dinthar,Aizawl	796001
19.	Senior Deputy Accountant General (A&E), Nagaland, Kohima	797001
20.	Accountant General (A&E), Orissa, Bhubaneswar	751001
21.	Accountant General (A&E), Punjab & Union Territory of Chandigarh, Sector-17E, Chandigarh	160017
22.	Principal Accountant General (A&E), Rajasthan, Bhagwan Das Road, Jaipur	302005
23.	Senior Deputy Accountant General (A&E), Sikkim, Lekha Pariksha Bhawan, Deorai, PO-Tadong Gangtok	737102
24.	Accountant General (A&E), Tamil Nadu, 361, Anna Salai, Teynampet, Chennai	600018

पो. डोरण्डा, राँची – 834002 (झारखण्ड) P.O. Doranda, Ranchi - 834002 (JHARKHAND)

दूरभाष / Telephone : 0651-2412942, 2412582 तार / Telegram : PRINACCTTS RANCHI फैक्स /Fax : 0651-2411745

E-mail : agaejharkhand@cag.gov.in

25.	Senior Deputy Accountant General (A&E), Tripura, PO- Kunjaban, Agartala	
26.	Accountant General (A&E), Uttar Pradesh, 20, Sarojini Naidu Marg, Allahabad	
27.	Accountant General (A&E), Uttarakhand, Dehradun, Oberoy Motor Building, Saharanpur Road Majra, Dehradun	2-
28.	Principal Accountant General (A&E), West Bengal, Treasury Buildings, No.-2, Govt, Place (West), Kolkata	70000
29.	Director of Accounts and Treasuries, Got of Pondicherry, Pondichrry	605001
30.	Controller of Accounts, Ministry of External Affairs, 3rd Fllor, Akbar Bhawan, New Delhi	110007
31.	Pay & Accounts Officer (V), Delhi Administration, TIS Hazar, New Delhi	110124
32.	Chief Controller of Accounts, M/o External Affairs to the Indian Mission, Kathmandu, Akabar Bhavan, Chanakyapuri, New Delhi	110021

Subject:-Enhancement rate of Dearness Relief to the Jharkhand State Government Pensioners/family pensioners w.e.f. 01-01-2016 (Enhanced from 119% to 125%).

Sir,

I am to enclose herewith the copy of Government of Jharkhand, Finance Department L. No.वि. प्र. 6 पे-12/2013/1242 /वि.dated -28/04/2016 on the subject stated above under Special Seal Authority for your information and immediate circulation among all pension disbursing authorities under your Jurisdiction.

Receipt of the above Special Seal Authority may please be acknowledged.

Yours faithfully

Encl:-As stated above.

Sr. Accounts Officer/Pen-III
Jharkhand, Ranchi

Central Diary Pen-I-Gen-3 y No - 27 - dt 4/5/16
No. 117
dt 4.5.16

संख्या : वि॰प्र॰ 6ए–12 / 2013.................. 1242/वि॰

झारखण्ड सरकार

योजना–सह–वित्त विभाग (वित्त प्रभाग)

राँची / दिनांक 28/4/16

संकल्प

विषय : राज्य सरकार के पेंशन / पारिवारिक पेंशनभोगियों को 01 जनवरी, 2016 के प्रभाव से महँगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि।

वित्त विभाग के संकल्प संख्या 660 / वि॰, दिनांक 28.02.2009 के द्वारा राज्य सरकार के पेंशनधारियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों को केन्द्र सरकार के पेंशनधारियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों की भाँति दिनांक 01.01.2006 के प्रभाव से केन्द्रीय पेंशन / पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त संकल्प की कंडिका–17(ए॰)(बी॰) के द्वारा केन्द्रीय सरकार के पेंशनभोगियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों के अनुरूप दिनांक 01.01.2006 से राज्य सरकार के पेंशनभोगियों को पेंशन / पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण एवं अन्य सुविधाऐं सहित महँगाई राहत प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

2. भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के पेंशन एवं पेंशन कल्याण विभाग के पत्र संख्या– 42 / 06 / 2016 P&PW(G) दिनांक 11.04.2016 के द्वारा केन्द्रीय पेंशन / पारिवारिक पेंशनधारियों को पुनरीक्षित पेंशन में दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से 119% (एक सौ उन्नीस प्रतिशत) से बढ़ाकर 125% (एक सौ पच्चीस प्रतिशत) महँगाई राहत के रूप में स्वीकृत किया गया है।

3. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में केन्द्रीय सरकार के पेंशन / पारिवारिक पेंशनधारियों के अनुरूप राज्य सरकार ने भी राज्य के पेंशन / पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से महँगाई राहत 119% (एक सौ उन्नीस प्रतिशत) से अभिवृद्धि कर 125% (एक सौ पच्चीस प्रतिशत) महँगाई राहत के रूप में स्वीकृत करने का निर्णय लिया है।

4. उक्त दर पर महँगाई राहत की गणना पुनरीक्षित पेंशन अथवा दिनांक 01.01.2006 के पश्चात् सेवानिवृत्त के समय प्राधिकृत पेंशन के समेकित पेंशन राशि पर किया जायेगा।

5. महँगाई राहत की स्वीकृति के कारण भुगतेय राशि में यदि 50 पैसे या उससे अधिक गणना आती हो, तो अगले उच्चतर रुपये में इसे पूर्णांकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जायेगा।

6. पेंशन / पारिवारिक पेंशन पर आदेय महँगाई राहत का भुगतान करते समय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 3556 / वि॰, दिनांक 09.05.1991 में समाविष्ट निदेशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त स्थितियों को छोड़कर महँगाई राहत शेष सभी असैनिक पेंशनभोगियों को देय होगा, जिन्हें क्षतिपूर्ति / वार्धक्य निवृत्ति / असमर्थता पेंशन प्राप्त है। औपबंधिक / पारिवारिक / असाधारण पेंशन पाने वाले को भी आदेय महँगाई राहत का भुगतान अनुमान्य होगा।

Tippt

7. पेंशन / पारिवारिक पेंशनभोगियों को इस महँगाई राहत के भुगतान में विलंब के परिहार्य हेतु झारखंड कोषागार संहिता, 2016 के नियम–199 के तहत राज्य के अंतर्गत बिना महालेखाकार, झारखंड के प्राधिकार के ही भुगतान का आदेश दिया जाता है। पेंशनभोगियों द्वारा प्रस्तुत विपत्र के आधार पर कोषागार / उप कोषागार पदाधिकारी महँगाई राहत की राशि का भुगतान करेंगे। साथ ही, सभी कोषागार / उप कोषागार पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि बैंको के माध्यम से पेंशन का

भुगतान प्राप्त करने वाले पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को त्वरित भुगतान कराने हेतु संबंधित सभी बैंकों को इसकी प्रतियाँ भेज दिया जाय।

8. राज्य के बाहर आदेय महँगाई राहत की निकासी केवल महालेखाकार, झारखंड के प्राधिकार पर ही किया जायेगा। इस हेतु महालेखाकार, झारखंड से अनुरोध है कि सभी संबंधित महालेखाकार को इस हेतु अविलम्ब प्राधिकृत कर दिया जाय तथा इसकी सूचना झारखंड सरकार, योजना–सह–वित्त विभाग को भी दी जाय।

9. दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से स्वीकृत इस महँगाई राहत की राशि का भुगतान करते समय पूर्ववर्ती कंडिकाओं में निहित सभी प्रावधानों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय। भुगतान के समय भुगतान की जाने वाली महँगाई राहत की राशि की शुद्धता की जाँच कर लेना भुगतान करने वाले पदाधिकारियों का दायित्व होगा।

10. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति वित्त विभागीय संलेख ज्ञापांक 1192/वि० दिनांक 22.04.2016 के क्रम में दिनांक 26.04.2016 की बैठक के मद सं० 04 में दी गई है।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखंड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ सभी कोषागार/ उप–कोषागार एवं महालेखाकार (ले० एवं हक०), झारखण्ड, राँची को प्रेषित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(अमित खरे)
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक : वि०प्र० 6ए–12/2013........ 1242/वि० राँची, दिनांक 28/4/16

प्रतिलिपि : सहायक अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा, राँची को e-गजट के रूप में राजपत्र असाधारण अंक में प्रकाशन करने हेतु प्रेषित।

(अमित खरे)
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक : वि०प्र० 6ए–12/2013........ 1242/वि० राँची, दिनांक 28/4/16

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं हक०), झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अमित खरे)
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक : वि०प्र० 6ए–12/2013........ 1242/वि० राँची, दिनांक 28/4/16

प्रतिलिपि : माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय/मुख्य सचिव के सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी आरक्षी अधीक्षक/ सभी कोषागार/उप–कोषागार पदाधिकारी/योजना–सह–वित्त विभाग (पेंशन शाखा) सहित वित्त प्रभाग के सभी प्रशाखा/जन सूचना कोषांग, योजना–सह–वित्त विभाग/पी०एम०यू० कोषांग के सहायक प्रोग्रामर, को विभागीय Website पर upload करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अमित खरे)
अपर मुख्य सचिव।

Office of the Accountant General (A&E) Jharkhand
03 MAY 2016
Ranchi - 834002

Pensionary 338